



न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-02, औरैया।

सत्र परीक्षण संख्या-137/2024

मुकदमा अपराध संख्या-488/2016

धारा-452, 354 ए, 307, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

थाना-बिधूना, जनपद-औरैया।

दिनांक 07.08.2026

01. अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** की ओर से द्वारा अधिवक्ता प्रा०पत्र 24 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त मुकदमें में अपराधी बनाया गया है। प्रार्थीगण का उपरोक्त मुकदमा आज निर्णय में था, जिसमें प्रार्थीगण को दोषसिद्ध किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को अपील करने हेतु जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त मुकदमें में अपील करने हेतु जमानत पर रिहा करने व जुर्माना धनराशि जमा करने के लिए समय प्रदान करने की कृपा करें।

02. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

03. इस न्यायालय द्वारा आज ही अभियुक्तगण **बबलू एवं हरिओम** को धारा 452, 354 ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध कर दोनों को **धारा 452 भा०दं०सं०** में तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं रुपये 10,000/- 10,000/- (दस-दस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं **धारा 354 ए भा०दं०सं०** में **प्रत्येक** को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं रुपये 10,000/- 10,000/- (दस-दस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं **धारा 323 भा०दं०सं०** में **प्रत्येक** को एक-एक वर्ष का कारावास एवं रुपये 2,000/- 2,000/- (दो-दो हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

04. चूंकि दोषसिद्ध अभियुक्तगण दौरान विचारण जमानत पर है तथा उनके द्वारा 437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में जमानतनामे व व्यक्तिगत वचनबद्धपत्र पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके हैं और दोषसिद्ध अभियुक्तगण इस निर्णय व आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं। अतः अपील अवधि तक दोषसिद्ध अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित है तथा अपील अवधि तक दण्डादेश निलंबित समझा जायेगा। दूसरे, दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा जुर्माना धनराशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की याचना की गयी है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्तगण को दिनांक 10.08.2026 तक के लिए जुर्माना धनराशि जमा करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। अतः उपरोक्त शर्तें पूरी होने पर अभियुक्तगण को रिहा किया जाये।

दिनांक 07.08.2026

(कैलाश कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष संख्या-02, औरैया।

JoCode-UP1684